न्यायालय उपजिला कले० एवं उपजिला मजि० बस्सी
मु० नं० विविध 04/2022
छाजूलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस
	11/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकालों द्वारा कार्य बहिष्कार / P.O. सा० राजस्व कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई तथा आदेश की पालना में दिनांक 15/7/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
15/7/24	पत्रावली पेश हुई प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई, पत्रावली मय दस्तावेजात का मनन किया गया, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल मिसल होकर, दाखिल दफ्तर होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।	
	उप जिला कलेक्टर बस्सी (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 04/2022
प्रकरण रज्जु दिनांक : 8.6.2022
निर्णय दिनांक 15.7.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. छाजूलाल पुत्र हरबक्स जाति मीना नि.बडियालखुर्द तह.बसवा
2. मोहनलाल पुत्र हरबक्स मीना नि.बडियाल खुर्द तह.बसवा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तह.बसवा जिला–दौसा राज.
2. कंपूरी देवी पत्नी हरिकिशन मीना नि.बडियालखुर्द तह.बसवा
3. कर्मा पुत्री हरसहाय जाति मीना नि.बडियाल खुर्द तह.बसवा
4. मूलचंद पुत्र हरिकिशन जाति मीना नि.बडियालखुर्द तह.बसवा
5. महेश चंद पुत्र हरिकिशन जाति मीना नि.बडियालखुर्द तह.बसवा
6. रविकांत पुत्र हरिकिशन मीना नि.बडियालखुर्द तह.बसवा
7. सोगोती देवी पत्नी हरसहाय जाति मीना नि.बडियालखुर्द तह.बसवा

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15.072024

उपस्थिति :–1. प्रार्थीगण की ओर से एडवाकेट
श्री नवीन कुमार गुर्जर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 23 पुराना 75 के आराजी खसरा नंबर 217 रकबा 0.20 हैक्टयर, 218 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नंबर 220 रकबा 0.32 हैक्टयर, 752/219 रकबा 0.27 हैकटयर, 755/221 रकबा 0.06 हैकटयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टयर भूमि ग्राम बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला–दौसा में सिथत है । भूमि खसरा नंबर 220, 755/221 के उत्तर की ओर अप्रार्थीगण 2 लगायत 07 आये दिन भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है । प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढी नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण 2 से 7 आए दिन प्रार्थी की भूमि खसारा नंबर 220 व 755/221 की सीमाओं पर विवाद करते रहते हैं, कहा सुनी करते हैं । अतः सीमा विवाद का सथाई समाधान के लिये [illegible] की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं । प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बसवा के आदेश क्रमांक भू.अ./2022/5840 दिनांक 8.4.2022 की पालना में दिनांक 16.6.2022 को सीमाज्ञान किया जा चुका है । अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 23 पुराना 75 आराजी खसरा नंबर 217, 218, 220, 752/219, 755/221 कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टयर वाके ग्राम बडियाल खुर्द तह.बसवा का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.6.2022 के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 बाद तामील भी प्रकरण में अनुपस्थित रहे, लिहाजा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.5.2022 का अवलोकन किया । इस सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि आज दिनांक 16.5.2022 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय बसवा के आदेश कमांक भू.अ. /2022/5840 दिनांक 8.4.2022 की पालना में ग्राम बडियाल खुर्द में स्थित खसरा नंबर 217/0.20 हैक्टयर, 218/0.20 हैक्टयर, 220/0.32 हैक्टयर, 752/219/0.27 हैकटयर, 755/221/0.06 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टयर के मौके पर सीमाज्ञान हेतु पहुँचा, मौके पर प्रार्थना–पत्र देहन्दा छाजूलाल, मोहनलाल पि. हरबक्स उपस्थित आए । सर्वप्रथम राजस्व नक्शे से मौका निरीक्षण किया गया । फिर खसरा नंबर 222 गै.मु.चाह से खसरा नंबर 201, 209, 746/208 के तिमेडे, खसरा 224, 225, 227 के तिमेडे, खसरा नंबर 277, 276 व 236 के तिमेडे व ग्राम चक रैवासा की सीमा से जो कि खसरा नंबर 214 की दक्षिणी मेड व 249 की उत्तरी मेड का ग्राम चक रैवासा की सीमा पर स्थित बिन्दु का मिलान किया गया । जो मौके पर सही पाये गये । उक्त बिन्दुओं की मुस्तकिल बिन्दु मानकर खसरा नंबर 217, 218, 220, 752/219, 755/221 का सीमाज्ञान किया गया एवं सभी कोनो पर निशान लगवाये गये । मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया व उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये ।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी । बहस उपरांत यह सुस्पष्ट हुआ कि उक्त खसरा नंबरान पर सीमाज्ञान हो चुका है एवं पत्थरगढी करने में कोई तकनीकी रूकावट प्रतीत नहीं होती है । लिहाज उचित पाते हैं कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.5.2022 के अनुसार ग्राम बडियाल खुर्द में स्थित खसरा नंबर 217/0.20 हैक्टयर, 218/0.20 हैक्टयर, 220/0.32 हैक्टयर, 752/219/0.27 हैकटयर, 755/221/0.06 हैक्टयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टयर की पत्थरगढी की जावे । ताकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके ।

निर्णय

अतः आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.5.2022 ग्राम बडियालखुर्द स्थित खसरा नंबर 217, 218, 220, 752/219, 755/221 कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टयर भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवावें, एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बसवा
बसवा (दौसा)
जिला–दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.07.24 16:49:52 IST
Reason: SelfAttested